



Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
**Directorate of Food and Supplies**  
खाद्य एवं पूर्ति निदेशालय

सेवा में,

सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक,  
(हरियाणा राज्य में)।

यादि क्रमांक एफ.जी.(4)-2011 / 13123  
दिनांक चण्डीगढ़ 8.7.2011

**विषय:- Provision of Prompt service to the Citizens.**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

2. जैसा कि आपको विदित है कि अन्य स्थानों से आए उपभोक्ता परिवारों के राशन कार्ड विभाग द्वारा सरैण्डर सर्तिफिकेट या Affidavit देने पर बनाए जाते हैं।

उपभोक्ताओं के हितों के दृष्टिगत अब ये निर्णय लिया गया है कि यदि किसी कारणवश उपभोक्ता सरैण्डर सर्तिफिकेट देने में असमर्थ है, तो उनके नए राशन कार्ड Affidavit की बजाए उन द्वारा **Self attested undertaking** देने पर कि पूरे देश में उनका कहीं भी राशन कार्ड नहीं बना है, बना दिया जाए। इसके लिए Affidavit ना लिया जाए।

उप-निदेशक-11  
कृते: निदेशक खाद्य एवं पूर्ति विभाग, हरियाणा

पृ0क्रमांक एफ.जी.(4)-2011 / 13124 दिनांक चण्डीगढ़ 8.7.2011

उपरोक्त की एक प्रति अवर सचिव, प्रशासनिक सुधार, मुख्य सचिव महोदया कार्यालय, हरियाणा, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ भेजी जाती है।

उप-निदेशक-11  
कृते: निदेशक खाद्य एवं पूर्ति विभाग, हरियाणा

3.